भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077753

नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी कृषकीय भूमि है जो कृषि के लिए वय की जा रही है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैय्या का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है। जो बैनामा का अंश भाग है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077754

(8)

एल0आर0 एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। उक्त आराजी लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है जिसका लगान 8 रुपया सालाना है उक्त आराजी विक्रेता की पैत्रिक सम्पत्ति है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077752

(9)

दस्तावेज हाजा मे उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं०वि०क०नि०–5–462/11–2006–500 (92)/2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम मे दिनांक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

मीना यादव

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077755

(10)

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त की सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077756

(11)

साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है, न ही उक्त आराजी किसी जमानत, ऋण, डिग्री आदि मे मगफूल है चूँकि मुझ विक्रेता निजि कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077757

(12)

उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को विक्रय करती हूँ कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को वखूबी करा दिया है अधिकार क्रेता आराजी मुवैया खेती करे व अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे, कागजात मालिकान में नाम दर्ज कागजात करावे वय हिवा रहिन करे

मीना यादव

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 862890

गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करे आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा भविष्य में कभी होगा काश किसी कानूनी नुक्श की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हज़ार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 862891

(14)

व खर्चा आदि की देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता व मेरे वारिसान रहेगें । यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 911015

(15)

कोषागार, झाँसी

जाती है वो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकद्मों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी,माल,राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादो का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार वकील

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 911016

कोषागार, झाँसी

मुख्य ... कोषाधिकारी

(एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नही होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। विक्रेता एवं क्रैता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

AF 451255

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

का कथन है कि प्रस्तुत विलेख मे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नही है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 451256

(18)

कोषागार, झाँसी

क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

मीना यादव

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 451257

कोषागार, झाँसी

मुख्य ... कोषाधिकारी

दिनांक : 07.11.2014

प्रारूपकर्ता : गौरव अग्रवाल वसीका नवीस, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता : दीपक , तहसील झाँसी

गवाह (1)........................

गवाह (2)........................

गौरव अग्रवाल दस्तावेज लेखक
तहसील व जिला झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या-2
दिनांक......-3-20.. तक विधिमान्य
सी माई.फीस रु.......... प्राप्त

नक्शा –नजरी

विक्रेता का नाम श्रीमती मीना.....

क्रेता का नाम श्री शैलेन्द्र यादव

मौजा. बैरी.....

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर ३६५,

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

मीना यादव

हस्ताक्षर बिक्रेता

Shailendra

हस्ताक्षर क्रेता

UPENDRA SINGH THAKUR
Jhansi Development Authority
G/MAN. LIC. No.-04

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड सख्या-23
क्रमांक 26248 मूल्य 25550
नाम क्रेता
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक

रोकड़िया

विक्रय पत्र

4,770,000.00 / 5,039,000.00

10,000.00	20	10,020.00	700
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 130/ए सी पी मिशन तहसील व जिला झांसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/11/2014 समय 3:38PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
7/11/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती मीना
पत्नी श्री मुन्नालाल
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झाँसी

क्रेता

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
पेशा व्यापार
निवासी 130/ए सी पी मिशन तहसील व जिला झांसी

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री अशोक कुमार
पुत्र श्री गिरन सिंह
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी
व श्री नरेन्द्र यादव
पुत्र श्री मंशाराम
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
निष्पादकों की पहचान यथाप्रलेख है

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक प्रथम
झाँसी
7/11/2014

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 26249 मूल्य 25000 -
नाम क्रेता 26247 के साथ
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक 27/11/14

विक्रेता

Registration No.: 8231 Year : 2,014 Book No. : 1

0101 मीना

मुन्नालाल

ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

गृहिणी

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 26250 मूल्य 25000
नाम क्रेता 262547 हे.साथ
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक 07/11/14
रोकड़िया

क्रेता

Registration No. : 8236 Year : 2,014 Book No. : 1

0201 शैलेन्द्र यादव
राकेश यादव
130/ए सी पी मिशन तहसील व जिला झांसी
व्यापार

आज दिनांक **07/11/2014** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **5940**

पृष्ठ सं. **71** से **110** पर क्रमांक **8236**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी

उप निबन्धक प्रथम,

झाँसी

7/11/2014

वादसंख्या- 136/2014

12/2/14

7/1/15

8236
14

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077746

कोषागार, झाँसी

भूमि मूल्यांकन सूची – पेज नम्बर 108 वी कोड 0331 के अनुसार भूमि दर 47,00,000/– रू0 प्रतिहैक्टेयर

स्टाम्प का योग – 3,53,000/– रू0

दस्तावेज का प्रकार – बैनामा कृषि

शामिल मिसिल

तहसीलदार
झाँसी

मीना यादव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077747

कोषागार, झाँसी

मुख्य कोषाधिकारी

(2)

विक्रय मूल्य – 47,70,000/– रू0 जिसमें से 9,00,000/–रू0 जरिये ड्राफ्ट संख्या 002334 दिनांक 01.11.2014 ई0 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, व 18,00,000/–रू0 जरिये ड्राफ्ट संख्या 207583 दिनांक 01.11.2014 ई0 कैनरा बैंक के द्वारा पूर्व प्राप्त लिया हैं एवं 20,70,000/–रू0 नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।

बाजारू कीमत – 50,39,000/–रू0

मौजा – मैरी

ब्लाक – बड़ागांव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077748

(3)

सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषिभूमि
मापन की इकाई	–	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	1.072 हैक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077749

कोषागार, झाँसी

मुख्य/उपकोषागार मुख्य कोषाधिकारी

(4)

सड़क की स्थिति— उक्त आराजी किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग/फोर लाईन व किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है व आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

प्रथम पक्ष की संख्या — एक

द्वितीय पक्ष की संख्या — एक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077750

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया मुद्रांक अधिकारी

(5)

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – श्रीमती मीना पत्नी श्री मुन्नालाल निवासी– ग्राम मैरी, तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान वोटर कार्ड संख्या GYR 2023042 से की गई है।)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष– अशोक इन्फ्रा प्रोपर्टीज प्रा0लि0 143 त्रिभुवन काम्पलेक्स ईश्वर नगर मथुरा रोड नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री राकेश यादव निवासी – 130/ए. सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड तहसील व जिला झाँसी (जिनकी पहचान पेन कार्ड संख्या DFHPS5779M से की गयी है)

मीना पत्नी

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 077751

सम्पत्ति का विवरण- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागांव परगना व जिला झाँसी की है जिसका खाता संख्या 00308 आराजी नम्बर 365 रकवा 1.072 है0 भूमि को वय किया गया है वयशुदा आराजी मे विक्रेता का कोई भी अंश शेष नही रहा है उक्त आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं उक्त आराजी में कोई पेड़ व कूप आदि नहीं है आराजी मुवैया